उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER TRANSMISSION CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ।

संख्याः 60–पारे0–04 / पाट्राकालि–2023–18 / 14 टी0सी0 **दिनांकः 22फरवरी, 2023**

समस्त मुख्य अभियन्ता,
पारेषण / जानपद,
उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0।

विषय :– वर्ष 2021–22 हेतु उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 के पूर्णकालिक कर्मचारियों को तदर्थ अनुग्रह धनराशि भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 द्वारा लेखा वर्ष 2021–22 के लिए अपने पूर्ण कालिक अराजपत्रित कर्मचारियों को उ०प्र० शासन के वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1 के आदेश संख्या–10 / 2022 / वे०आ०–1–846 / दस–2022–36(एम) / 08, दिनांक 18.10.2022 एवं उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के आदेश संख्या–435–औ0सं0–17 / पाकालि / 2023–116–ए0एस0 / 96, दिनांक 27.01.2023 की अनुरूपता में तदर्थ अनुग्रह धनराशि के रूप में 30 दिन की परिलब्धियों की निम्नलिखित प्रतिबन्धों सहित सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

1. पुनरीक्षित वेतन संरचना के अन्तर्गत वेतन मैट्रिक्स में लेबल–8 (रू0 47600–151100) तक के पद (अपुनरीक्षित वेतनमानों में ग्रेड वेतन रू0 4800/–) पर कार्यरत अराजपत्रित कर्मचारियों को अनुमन्य किया जाये भले ही उन्हें इससे उच्च वेतन मैट्रिक्स लेवल वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य हुआ हो।
2. तदर्थ अनुग्रह राशि के भुगतान की गणना के लिए मासिक परिलब्धियों की अधिकतम सीमा रू0 7000/– होगी। तदर्थ अनुग्रह धनराशि के लिए 01 माह में औसत दिनों की संख्या–30.4 के आधार पर दिनांक 31 मार्च 2022 को ग्राह्य परिलब्धियों के अनुसार 30 दिन की परिलब्धियां आगणित की जायेगी।
3. दिनांक 31 मार्च, 2022 को वास्तविक औसत परिलब्धियां रू0 7000/– से ज्यादा होने की स्थिति में रू0 7000/– की परिकल्पित परिलब्धि मान कर दिनांक 31 मार्च, 2022 को 30 दिन की परिलब्धियां (7000×30 / 30.4=6907.89) अर्थात रू0 6908/–तदर्थ अनुग्रह धनराशि के रूप में अनुमन्य होगी।
4. उक्त सुविधा केवल उन कर्मचारियों को अनुमन्य होगी, जिन्होंने 31 मार्च, 2022 को एक वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी कर ली थी।
5. ऐसे कर्मचारी, जिनके विरूद्ध अनुशासन एवं अपील नियमावली के अन्तर्गत विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही अथवा किसी न्यायालय में आपराधिक मुकदमा लम्बित हो, को तदर्थ अनुग्रह राशि का भुगतान ऐसे अनुशासनात्मक कार्यवाही अथवा मुकदमें का परिणाम प्राप्त होने तक स्थगित रहेगा, जो दोषमुक्त होने की दशा में ही अनुमन्य होगा। इसके अतिरिक्त जिन कर्मचारियों को वर्ष 2021–2022 में किसी विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही अथवा अपराधिक मुकदमें में दण्ड दिया गया हो उन्हें तदर्थ अनुग्रह धनराशि देय न होगी।
6. किसी वित्तीय वर्ष के तदर्थ अनुग्रह धनराशि के सम्बन्ध में एक बार निर्णय ले लिये जाने के पश्चात आगामी वर्षों में किसी परिस्थिति में पुनर्विचार नहीं किया जायेगा।
7. इन आदेशों द्वारा स्वीकृत तदर्थ अनुग्रह धनराशि की आगणित धनराशि को निकटतम एक रूपया में पूर्णांकित किया जायेगा अर्थात 50 पैसा या उससे अधिक को एक रूपया मानकर और उससे कम को शामिल न करते हुए पूर्णांकित किया जायेगा।

क्रमशः 2/–

8. दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों, जिन्होंने दिनांक 31 मार्च 2022 को तीन वर्ष अथवा उससे अधिक समय तक लगातार कार्य किया हो और प्रत्येक वर्ष कम से कम 240 दिन कार्यरत रहे हों, को भी यह सुविधा अनुमन्य होगी। ऐसे पूर्णकालिक कर्मचारियों को भी जिन्होंने 31 मार्च 2022 तक एक वर्ष निरन्तर सेवा पूरी नहीं की है, परन्तु उक्त तिथि तक दैनिक वेतनभागी कर्मचारी के रूप में (दोनों अवधियों को सम्मिलित करते हुए) तीन वर्ष या उससे अधिक समय तक लगातार कार्य किया हो और प्रत्येक वर्ष कम से कम 240 दिन कार्यरत रहे हों, को यह सुविधा अनुमन्य होगी। ऐसे मामले में सम्बन्धित कर्मचारी के लिए मासिक परिलब्धियां रू0 1200/- प्रतिमाह मानी जायेगी। और इस प्रकार तदर्थ अनुग्रह राशि की देय धनराशि रू0 1200×30/30.4=1184.21 अर्थात रू0 1184 पूर्णांकित होगी, परन्तु ऐसे कर्मचारी जिनकी वास्तविक परिलब्धियों रू0 1200/- प्रतिमाह से कम है उन्हें तदर्थ अनुग्रह धनराशि उनकी वास्तविक मासिक परिलब्धियों के आधार पर आगणित की जायेगी।

9. सभी श्रेणी के कर्मचारियों जिन्हें उक्त सुविधा अनुमन्य है, को अनुग्रह धनराशि की अनुमन्य धनराशि का 75 प्रतिशत भाग सम्बन्धित कर्मचारी के भविष्य निधि खाते/सी0पी0एफ0 में (जैसी भी स्थिति हो) जमा किया जायेगा तथा शेष 25 प्रतिशत धनराशि का नकद भुगतान किया जायेगा। यदि कोई कर्मचारी भविष्य निधि खाते/सी0पी0एफ0 खाते का सदस्य नहीं है तो उसे उक्त धनराशि नेशनल सेविंग सर्टीफिकेट (एन0एस0सी0) के रूप में दी जायेगी अथवा पब्लिक प्राविडेंट फण्ड (पी0पी0एफ0) में जमा किया जायेगा। जो कर्मचारी अधिवर्षता की आयु पर दिनांक 31 मार्च 2022 के बाद सेवानिवृत्त हो चुके हैं अथवा दिनांक 30 अप्रैल 2023 तक सेवानिवृत्त होने वाले हों उनको अनुमन्य सम्पूर्ण तदर्थ अनुग्रह धनराशि का भुगतान नकद किया जायेगा।

10. वर्ष 2021-2022 हेतु पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन के कर्मचारियों को तदर्थ अनुग्रह धनराशि के भुगतान पर आये वित्तीय भार को कारपोरेशन के आय-व्ययक 2022-23 के नामे डाला जायेगा।

11. अनुग्रह धनराशि के भुगतान के लिए लेखा स्कन्ध द्वारा पृथक से प्राधिकृत पत्र (लेटर ऑफ अथारिटी) निर्गत करने की आवश्यकता नहीं होगी और कारपोरेशन के उक्त आदेश के आधार पर ही वर्ष 2021-2022 हेतु अनुग्रह धनराशि का भुगतान ग्राह्य होगा। कृपया उक्त निर्णयानुसार निधि आवंटन की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

संख्याः 60 (I)-पारे0-04/पाट्राकालि-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा), उत्तर प्रदेश शासन, के निजी सचिव।
2. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
5. समस्त निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
6. समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0।
7. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन)/लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. समस्त उपमहाप्रबन्धक/उपमुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0।
9. उप सचिव (पारेषण-प्रथम/द्वितीय), उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0।
10. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
11. अधिशासी अभियन्ता (सं0) निदेशक (आपरेशन), उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को ट्रान्समिशन की वेब-साइट www.upptcl.org पर अपलोड करने हेतु।
12. कट फाइल।

(राकेश प्रसाद)
निदेशक (का0प्रब0 एवं प्रशा0)